महत्वपूर्ण

संख्या-7/2016/मं0वि0-6/55-पर्या-16-27(पर्या)/2015

प्रेषक,

श्री संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

2-निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3-सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी, 2016

विषयः- प्रदेश के डिस्पोजल क्राकरी के निर्माताओं व ट्रेडर्स का उत्पीड़न न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-मं0वि0-2/55-पर्या-2016, दिनांक 08-02-2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के माध्यम से प्लास्टिक की थैलियों को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में पर्यावरण अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-3306/55-पर्या-2015-27(पर्या)/2015, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 की निम्नवत स्थिति स्पष्ट की गयी है :-

"प्लास्टिक की थैलियों का तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है लेकिन इसमें वे थैलियां शामिल नहीं है, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती हैं या इसका अभिन्न अंग है, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएं सीलबन्द की जाती है।"

2- प्लास्टिक की थैलियों को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने के बावजूद डिस्पोजल क्राकरी के निर्माताओं व ट्रेडर्स के उत्पीड़न की शिकायतें शासन स्तर पर प्राप्त हो रही हैं। जबकि उक्त अधिसूचना दिनांक 22-12-2015 द्वारा मात्र प्लास्टिक थैलियों को ही प्रतिबन्धित किया गया है न कि डिस्पोजेबल क्राकरी यथा प्लास्टिक गिलास, चम्मच, प्लेट आदि को।

अतः कृपया पर्यावरण अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 22-12-2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार ही आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रदेश के डिस्पोजल क्राकरी के निर्माताओं व ट्रेडर्स का उत्पीड़न किसी भी दशा में न किया जाय।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2016/मं0वि0-6(1)/55-पर्या-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि :- श्री पंकज कुमार मलिक, मा0 विधायक, शामली, सदस्य प्राक्कलन समिति, उ0प्र0 विधान सभा, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 03-02-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।